

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 28.10.2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 400.734 लाख (रुपये चार करोड़ तिहत्तर हजार चार सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 63/12.02.2019 एवं 83/27.01.2017; (Online स्वीकृति सं. 2097, दिनांक 12.02.2019 एवं 2289, दिनांक 09.02.2017)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य  विपत्र कोड- 50S470200101190545	400.734
आवंटित राशि - रुपये चार करोड़ तिहत्तर हजार चार सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1643, दिनांक-02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 90

राँची, दिनांक :- 28.10.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, झोरण्डा/मेदिनीनगर/पलामू/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो/चतरा/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 90

राँची, दिनांक :- 28.10.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



विभागीय पत्रांक ..... 90

दिनांक ..... 28.10.2020

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
बजट उपबंध (2020-21) - रूपये 2380.00 लाख (रूपये तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र  
विपत्र कोड- 50S47020010190545

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अवतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति						
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, भेदिनीनगर (PLMMMR041)	पांकी	नटही नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	57.735	2097 dt. 12.02.2019	58.794	6.680	0.000	28.259	28.259	34.939	54930							
2	पाटन		बंका नाला पर चेकडैम निर्माण	109.502		12.870		0.000	46.963	46.963	59.833										
3			अकराही नाला पर चेकडैम निर्माण	70.694		0.000		5.255	5.255	5.255											
4	4		सतबरवा	नारायण नाला पर चेकडैम निर्माण		36.115		4.495	0.000	21.518	21.518	26.013									
5	5	तरहसी	चरमोरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	102.948	101.948	11.835	0.000	59.456	59.456	71.291	44.668										
6	6		ग्राम पीपरहट में कुन्द रहिया नाला पर चेकडैम सं-1 निर्माण	62.954												7.425	0.000	37.243	37.243		
7	7		लेखीरांज	ग्राम कोठिलवा में कुन्दरहिया नाला पर चेकडैम सं-2 का निर्माण												64.527	7.750	0.000	39.723	39.723	47.473
योग :-						504.475		480.739	51.055	0.000	238.417	238.417	289.472								
8	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMR001)	हजारीबाग	ईचाक	83/2016-17 dt. 27.01.2017	85.155	2289 dt. 09.02.2017	66.397	58.563	0.000	7.414	7.414	65.977	54934							
योग :-						85.155		66.397	58.563	0.000	7.414	7.414	65.977								
9	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMR012)	रामगढ़	माण्डू	63/2018-19 dt. 12.02.2019	44.758	2097 dt. 12.02.2019	38.163	0.000	0.000	18.893	18.893	18.893	54931							
योग :-						44.758		38.163	0.000	0.000	18.893	18.893	18.893								

(राशि लाख रूपये में)

CSA  
km

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकसूचित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुमति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	1		नागाडीह	ग्राम धवाटंड में कोचावेड़ा चेकडैम निर्माण		52.045		45.374	0.000	0.000	28.869	28.869	28.869		
11	2		पेटखार	श्यामलता नाला पर चेकडैम स्त-2 निर्माण	63/2018-19	88.324	2097	78.665	0.000	0.000	43.524	43.524	43.524		
12	3		नोनिया	नगुलवा जोरिया नुनरिया में चेकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	75.890	dt. 12.02.2019	65.965	0.000	0.000	37.040	37.040	37.040		
13	4		कसमार	नोवई जोरिया (पाडी) में चेकडैम निर्माण		54.732		48.510	0.000	0.000	7.761	7.761	7.761		
				योग :-		270.991	0.000	238.514	0.000	0.000	117.194	117.194	117.194		
14	1		लघु सिंचाई प्रमंडल, वतरा (CTRMIR001)	वतरा मयुरहंड	83/2016-17	73.712	2289	63.960	55.740	0.000	3.379	3.379	59.119		
				योग :-		73.712		63.960	55.740	0.000	3.379	3.379	59.119		
15	1		लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	सरिया कनदवा घाट नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19	40.326	2097	34.931	0.00	0.000	15.437	15.437	15.437		
				योग :-		40.326		34.931	0.000	0.000	15.437	15.437	15.437		
				सकल योग :-		1,019.417		922.704	165.358	0.000	400.734	400.734	566.092		

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव